

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
संख्या: 594 /VII-I/2019/42स्क्रीनिंग प्लान्ट/18
देहरादून,दिनांक: 09 मार्च, 2019

कार्यालय ज्ञाप

अधिसूचना संख्या-1771/VII-1/16/68-ख/15, दिनांक 19 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2015 (यथासंशोधित), 2016 के प्रावधानानुसार निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-1474/स्क्री-भण्डा/भूखनिई/देदू/2018-19, दिनांक 25 फरवरी, 2019 के अनुक्रम में एवं आवेदक इकाई द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापित के क्रम में मै० आयुषि ट्रेडर्स प्रो० कर्मवीर सिंह पुत्र श्री प्रीत सिंह, निवासी ग्राम मडलौडा, तहसील मडलौडा, जिला पानीपत, हरियाणा, हाल निवास 10 अनन्य विहार, सेवलाकला, देहरादून को जनपद देहरादून, तहसील विकासनगर, परगना पछुवादून, ग्राम जस्सोवाला के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं० 715 कुल रकवा 1.0780 है० नाप भूमि में स्वीकृत स्क्रीनिंग प्लान्ट के क्षेत्रान्तर्गत 5,000 टन क्षमता के उपखनिज भण्डारण हेतु स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञाधारक मै० आयुषि ट्रेडर्स प्रो० कर्मवीर सिंह पुत्र श्री प्रीत सिंह, निवासी ग्राम मडलौडा, तहसील मडलौडा, जिला पानीपत, हरियाणा हाल निवास 10 अनन्य विहार, सेवलाकला, देहरादून के पक्ष में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं० 2255/VII-1/2018/42 स्क्रीनिंग प्लान्ट/18, दिनांक 1 जनवरी, 2019 द्वारा स्वीकृत स्क्रीनिंग प्लान्ट में दिनांक 15.01.2020 तक निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुज्ञापित पत्र स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा प्लान्ट में उपयोग किये जाने वाले कच्चा माल (आर०बी०एम०) के स्रोत के संबंध में शपथ पत्र दिनांक 7.3.2019 प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार उनके द्वारा श्री सुनित पाल अग्रवाल पुत्र श्री धर्मपाल अग्रवाल, निवासी 3/3 रेसकोर्स, देहरादून के पक्ष में जनपद देहरादून, तहसील विकासनगर के ग्राम खुशहालपुर के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 4.743 है० नाप भूमि में 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत उपखनिज के खनन पट्टा (वार्षिक क्षमता 1,35,176 टन), जिसका विलेख निष्पादन दिनांक 16.1.2015 को किया गया है, से स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु कच्चा माल (आर०बी०एम०) की आपूर्ति की जायेगी तथा शपथ पत्र दिनांक 7.3.2019 के अनुसार दिनांक 15.1.2020 के पश्चात् प्लान्ट हेतु कच्चा माल (आर०बी०एम०) की आपूर्ति वन विकास निगम, देहरादून के पक्ष में स्वीकृत लाट क्रमशः सौंग-1, सौंग-2, सौंग-3, जाखन-1 एवं जाखन-2 से की जायेगी। उत्तराखण्ड वन विकास निगम से स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी को उपखनिज की आपूर्ति हेतु स्पष्ट पत्र प्राप्त होने पर मै० आयुषि ट्रेडर्स को उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञापित को अग्रेतर बढ़ाया जा सकेगा।
2. अनुज्ञापितधारक भण्डारित किये गये एवं निर्गमित किये गये खनिजों का बोधगम्य लेखा-जोखा प्रपत्र "के" पंजिका भण्डार में पृथक-पृथक रखना होगा, ताकि निरीक्षण के समय सही स्थिति की जानकारी हो सके। यदि उपरोक्त के अनुसार अभिलेख नहीं रखे जाते हैं, तो उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2015, यथासंशोधित, 2016 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
3. अनुज्ञापितधारक भण्डारित और परिवहन किये गये खनिजों के सही लेखा-जोखा की एक प्रति प्रत्येक माह जिला कार्यालय एवं ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई एवं वाणिज्य कर विभाग को प्रपत्र "एल" में प्रस्तुत करेगा।
4. अनुज्ञापितधारक प्रश्नगत स्थल पर उपखनिजों का भण्डार इस प्रकार से करेगा, जिससे कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो।



5. अनुज्ञप्तिधारक प्रत्येक माह के क्रय उपखनिज के खरीद के साक्ष्य (एम0एम0-11/प्रपत्र जे0 की प्रति) प्रपत्र एल0 के साथ जिला कार्यालय, ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को जांच हेतु प्रस्तुत करेगा।
6. अनुज्ञप्तिधारक भण्डारण स्थल पर धूल उत्सर्जन को कम करने के लिए छिड़काव हेतु पानी की व्यवस्था करेगा।
7. अनुज्ञप्तिधारक को समय-समय पर राज्य सरकार, जिलाधिकारी तथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
8. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 के अध्याय-IV के बिन्दु सं० 12 के प्रावधानानुसार छाने गये उपखनिज की मात्रा पर 25 पैसा प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक 0853-अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा कराया जाना होगा तथा भविष्य में उक्त के संबंध में शासन द्वारा जो भी आदेश किये जायेंगे, अनुज्ञप्तिधारक को मान्य होगा।
9. अनुज्ञप्तिधारक भण्डारण स्थल के परिसर में इलैक्ट्रोनिक तौल मशीन स्वयं के व्यय से अनिवार्य रूप से स्थापित करेगा।
10. अनुज्ञप्तिधारक खनिज का परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2005 यथासंशोधित, 2016 के अनुसार निर्धारित ई-रवन्ना प्रपत्र-"जे" पर करेगा।


गरिमा रौकली
संयुक्त सचिव

संख्या: 594 (1)/VII-1/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. मै० आयुषि ट्रेडर्स प्रो० कर्मवीर सिंह पुत्र श्री प्रीत सिंह, निवासी ग्राम मडलौडा, तहसील मडलौडा, जिला पानीपत, हरियाणा हाल निवास 10 अनन्य विहार, सेवलाकला, देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव